न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र / 25 / 2024

राज.सरकार प्रवर्तन निरीक्षक रसद, कार्यालय जिला रसद कार्यालय भरतपुर

......प्रार्थी

बनाम

श्री महावीर सिंह पुत्र बहादुर सिंह, निवासी मथुरागेट के सामने नन्द होटल के बगल से भरतपुर

......अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, सपठित द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000

उपस्थित :-
1-पैरोकार सरकार रसद
2-श्री पंकज कुमार अभिभाषक अप्रार्थी.

निर्णय दिनांक 14.02.2025

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए ईसी एक्ट पेश किया गया है। संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 26.12.2024 को प्राप्त सूचना के आधार पर जिला रसद अधिकारी भरतपुर के निर्देशन में प्रवर्तन स्टाफ नगर निगम के पास स्थित महावीर चाट भण्डार भरतपुर पर पहुँचे। मौके पर मिष्ठान भण्डार पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग रेग्यूलेटर, नली व चूल्हे के माध्यम से प्रयुक्त किये जा रहे थे। घरेलू गैस सिलेण्डर उपस्थिति के सम्बन्ध में कोई वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया। मौके पर जप्त 03 घरेलू गैस सिलेण्डर जप्त किया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का दुरुपयोग द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 का उल्लंघन होने के कारण जप्त 03 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात किये जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो को नोटिस धारा 6बी ई0सी0 एक्ट जारी किया गया। योग्य अभिभाषक उपस्थित आये उन्होंने जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

पैरोकार रसद ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये जाहिर किया कि अप्रार्थी घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग वाणिज्यक गतिविधि के लिये कर रहा था। अप्रार्थी का यह कृत्य द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 का उल्लंघन होने के कारण 03 घरेलू गैस सिलेण्डर एलपीजी राजसात किये जाने की प्रार्थना की गई।

........2

जिला कलक्टर
भरतपुर

योग्य अभिभाष अप्रार्थी का कहना है कि अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्य उसकी बहस शुमार की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया पैरोकार सरकार रसद के कथनों पर गौर किया। अप्रार्थी अपने मिष्ठान की दुकान में मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डर से उपयोग करता हुआ वाणिज्यक गतिविधी के लिये करता पाया गया है। अप्रार्थी का यह कृत्य दवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 का स्पष्ट उल्लंघन होने के कारण 03 घरेलू गैस सिलेण्डर राजसात किया जाना उचित पाते हैं। अस्तु प्रार्थना पत्र धारा 6 ए ईसी एक्ट स्वीकार किया जाने योग्य रहता है।

**अतः आदेश है कि :–**

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र धारा 6ए ईसी एक्ट स्वीकार किया जाता है। मोके पर जप्त 03 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात (Confiscate) किया जाता है। जिला रसद अधिकारी भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि जप्त 03 घरेलू गैस सिलेण्डर सम्बन्धित कम्पनी में जमा करावें तथा खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग के पत्रांक 86 (23)खा0ले0/6/89 जयपुर दिनांक 20.10.2000 के परिप्रेक्ष्य में उक्त गैस कम्पनी/आयल कम्पनी गैस सिलेन्डर से जो धन राशि प्राप्त होगी वह धन राशि कम्पनी द्वारा राजकोष में जमा कराई जावे। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी भरतपुर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 14.02.2025 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

( डॉ. अमित यादव )
जिला कलक्टर,
भरतपुर